प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 20.08.2026

गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

संगाठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गीडा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 406/2026 धारा 2(ख) की उपधारा (I),(XI) व 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त महाबीर पुत्र राम गोविन्द निवासी महिलवार थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर अनुचित रुप से अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापारियो के राशन (गेहूँ) परिवहन के नाम पर ले जाकर यथा स्थान पर न पहुँचाकर अन्य किसी स्थान पर बेच कर प्राप्त रुपयों को हडप लेने जैसे गम्भीर अपराधों मे संलिप्त होने के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 406/2026 धारा 2(ख) की उपधारा (I),(XI) व 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

महाबीर पुत्र राम गोविन्द निवासी महिलवार थाना खजनी जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

i. मु0अ0सं0-544/25 धारा-316(3),317(2),317(4),61(2) बीएनएस थाना गीडा
ii. मु0अ0सं0-545/25 धारा-316(3),317(2),317(4),61(2) बीएनएस थाना गीडा
iii. मु0सं0अ0-115(2),117)2(,316(2),351)3(, बीएनएस व 85¾ पाक्सो एक्ट थाना बेलघाट

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरणः-

मु०अ०सं०)2 धारा 2026/406ख) की उपधारा (I),(XI) व (1)3उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार पाण्डेय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. निरीक्षक अवधेश तिवारी थाना गीडा जनपद गोरखपुर